

हरियाणा सरकार
खेल विभाग
नागरिक अधिकार पत्र 2024–25

| क्र. सं. | सेवा का नाम | पात्रता | क्या करें ? | आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि | निपटारे की समय-सीमा |
|----------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र। (कैश अवार्ड) | खेल ग्रेडेशन पालिसी के अनुसार। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार। | प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है। इसके उपरांत सम्बंधि डिविजन के उपनिदेशक खेल द्वारा खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं। | किसी भी कार्यालय दिवस को। | 30 दिन |
| 2 | खिलाड़ियों को नकद ईनाम (कैश अवार्ड) | सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार। CAMS (Cash Awards Management System) (URI- http://haryanakhelcashaward.in) के माध्यम से संबंधित जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है तत्पश्चात जिला खेल अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय भेजता है। | खिलाड़ी द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन पत्र विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर भेजा जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक। | सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक। | प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार। |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| 3 | विद्यार्थियों को सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार। | सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन कर्ता के संबंधित जिले के खेल अधिकारी के अनुसार। | खिलाड़ी द्वारा निर्धारित तिथि तक। | प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार। |
| 4 | भीम अवार्ड की गई अधिसूचना के अनुसार | सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार | खिलाड़ी द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन पत्र संबंधित जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होता है तत्पश्चात जिला खेल अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय भेजता है। | सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक। |
| 5 | जॉब पालिसी | खिलाडियों को खेल विभाग में नौकरी प्रदान करने के सम्बन्ध में। | खिलाड़ी द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में आवेदन पत्र निदेशालय में जमा करवाना होता है। इसके उपरांत सम्बंधित संघ से सत्यापित करवाकर विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत मामला सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। | सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक। |
| 6 | खेल नर्सरी योजना | 8 से 14 वर्ष वर्ग के लड़के/लड़कियां | स्कूल / संस्था द्वारा निर्धारित विभागीय पोर्टल पर खिलाड़ी का डाटा एवं खेल मैदान की फिजिबलिटी रिपोर्ट अपलोड करने उपरांत विभाग द्वारा पात्र संस्थाओं को नर्सरी अलाट की जाती है। | 45 दिन |

| | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|
| 7 | खेल स्टेडियम निर्माण के सम्बंध में। | विभाग के दिशा निर्देश अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा समबंधित जिला जमीन नियुक्त उपलब्ध करवाने पर सम्बंधित प्रशासन से फिजिबलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत उसका एस्टीमेट तैयार करवाकर सरकार को नामला स्वीकृती हेतु भेजा जाता है। | ग्राम पंचायतों द्वारा समबंधित जिला खेल कार्यालय में स्टेडियम निर्माण के आवेदन पर कार्यवाई अमल में लाई जाती है। | प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता अनुसार। |
| 8 | प्रशिक्षण खिलाड़ियों को प्रशिक्षण | विभाग के दिशा निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को नियुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों को खेल नसरी मुविधा प्रदान की जाती है। | विभाग द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण देने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जाता है। | प्रत्येक वर्ष |

Deputy Inspector Officer
Department of Sports,
Haryana, Panchkula